

—तिरानवे—

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या-स0वि0क0नि0-5-2678 / 11-2006-500(35) / 2000
लखनऊ दिनांक : 26 जुलाई, 2006

अधिसूचना
आदेश

साद्वारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-6469 / 11-2002-500(35) / 2000 दिनांक 12 नवम्बर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना के परन्तुक में, अन्त में आये हुए शब्द व अंक "दिनांक 31 मार्च, 2006 को या उससे पूर्व कर दिया गया हो" के स्थान पर शब्द व अंक "दिनांक 31 मार्च, 2007 या उससे पूर्व कर दिया गया हो" रख दिये जायेंगे और दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से रखे गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(प्रीतम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-क0नि0-5-2678(1) / 11-2003-500(35) / 2000 तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 26 जुलाई, 2006 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात गजट की 10 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियां आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-क0नि0-5-2678(1) / 11-2003-500(35) / 2000 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर सचिव, राजस्व परिषद / आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि क्रमांक-8 को इस अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3. सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा ग्रेटर नोएडा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम,, 117/130, सर्वोदय नगर कानपुर।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
9. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
11. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Sansthatag Vitt, Kar Evam Nibandhan Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N.5-2678/11-2006-500(35)/2000 dated July 26, 2006, for general information.

No. S.V.K.N.5-2678/11-2006-500(35)/2000

Lucknow, Dated July 26, 2006

Notification

Order

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. K.N.5-6469/11-2002-500 (35)/2000 dated November 12, 2002 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the proviso, for the words and figures, "On or before March 31, 2006" appearing in the end, the words and figures, "On or before March 31, 2007" shall be substituted and be deemed to have been substituted and be deemed to have been substituted with effect from April 01, 2006.

By order,
Sd/- Illegible
(Pritam Singh)

Pramukh Sachiv.